



PUNJAB CHEMICALS

AND CROP PROTECTION LTD.

CIN NO. L24231PB1975PLC047063

Regd. Office & Works

Milestone-18, Ambala-Kalka Road, Village & P.O. Bhankharpur, Derabassi, Distt SAS Nagar, Mohali (Punjab)-140201, INDIA

Tele: 01762-280086, 522250, Fax: 01762-280070, E-mail: info@punjabchemicals.com, Website: www.punjabchemicals.com

Date: October 27, 2023

BY E FILING

The Manager Department of Corporate Services BSE Limited MUMBAI-400 001 Re: BSE Scrip Code: 506618	The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited MUMBAI-400 051 NSE Scrip Symbol: PUNJABCHEM
---	--

Sub: Newspapers Publication w.r.t. extract of Un-audited (Standalone and Consolidated) Financial Results for the second quarter and half year ended September 30,2023.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the newspapers clippings w.r.t. the extract of Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results for the second quarter and half year ended September 30, 2023 as published in the Financial Express (English Edition), Jansatta (Hindi Edition) and Rozana Spokesman (Punjabi Edition).

You are requested to take the same record.

Thanking you,

Yours faithfully

For PUNJAB CHEMICALS AND
CROP PROTECTION LIMITED

RISHU CHATLEY
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
ACS-19932



Encl: as above

खबर कोना

भाजपा नीत सरकार के नौ साल पूरे होने पर कामकाज का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले

एसवाईएल निर्माण और जल बंटवारा अलग विषय

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (जनसत्ता)।

दो महीने में बंद हो जाएंगे छह टोल प्लाजा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसवाईएल पर पंजाब को घेरते हुए कहा है कि इसका निर्माण करना तथा जल वितरण दो अलग-अलग विषय हैं। पंजाब दोनों को मिलाकर मामला सुलझाने के बजाय उलझा रहा है। उन्होंने यह बात चंडीगढ़ में सरकार के नौ साल का रपट कार्ड रखते हुए कही।

उन्होंने बताया कि एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पत्र लिखकर बैठक का प्रस्ताव दिया था लेकिन कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है पंजाब में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए बैठक को लेकर महज औपचारिकता पूरी की हो। कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री को बैठक के लिए सहमति दे चुके हैं। पंजाब जब चाहे हरियाणा के साथ इस मुद्दे पर साझा बैठक कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अगले दो माह के भीतर लोक निर्माण विभाग के तहत संचालित छह टोल प्लाजा बंद करने की घोषणा कर दी है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। कहा कि तीन टोल प्लाजा-स्टेट हाईवे-17 पर राजस्थान सीमा के समीप गांव बशीरपुर (नारनौल-निजामपुर मार्ग), स्टेट हाईवे-11 पर पंजाब सीमा के समीप गांव टटियाना (कैथल-पटियाला मार्ग), स्टेट हाईवे-22 पर गांव गुज्जरवास (सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना मार्ग) पर स्थित टोल प्लाजा का संचालन आगामी

1 नवंबर, 2023 से बंद हो जाएगा। इसी प्रकार, कैथल-खनौरी सड़क पर गांव संगतपुरा के समीप पंजाब सीमा स्टेट हाईवे-8 पर टोल प्लाजा आगामी 10 नवंबर को बंद हो जाएगा। काला अंब-सदौरा-शाहाबाद सड़क पर गांव अशमरपुर के समीप हिमाचल प्रदेश सीमा स्टेट हाईवे-4 और रोहतक-खरखोदा-दिल्ली सड़क सीमा पर गांव फिरोजपुर के समीप दिल्ली सीमा स्टेट हाईवे-18 पर टोल प्लाजा का संचालन 1 दिसंबर, 2023 को बंद कर दिया जाएगा।



नौ साल के कामकाज का ब्योरा देते मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य।

3,810 पेड़ों को 'पेंशन' मिली

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राण वायु देवता पेंशन लागू करते हुए 3,810 पेड़ों के नाम पेंशन जारी की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सालाना पेंशन चंडीगढ़ से आनलाइन मोड के जरिये पेड़ मालिकों के खातों में भेजी। कहा कि हरियाणा में करीब एक साल पहले इस पेंशन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सभी जिलों से पेड़ों का ब्योरा मंगवाया गया।

महंगाई भत्ता चार फीसद बढ़ाया

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते की फिस्ट में चार फीसद बढ़ोतरी का ऐलान किया है जो गत एक जुलाई, 2023 से मान्य होगी लेकिन इसका भुगतान दिसंबर से वेतन के साथ नियमित रूप से किया जाएगा। इससे प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में होने वाले 'सरस मेला' की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह मेला 27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक आयोजित होगा। -गुरमीत सिंह

परिवहन मंत्री के फेसबुक खाते में सेंध, जांच शुरू

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (ब्यूरो)।

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का फेसबुक खाते में हैकरों ने सेंध लगा दी। मंत्री ने गुरुवार को स्वयं इसकी जानकारी दी और बताया कि साइबर थाना पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है जो प्रकरण की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी 'फेसबुक आईडी' हैक हो गई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति वहां से भेजी जा रही सामग्री पर संज्ञान न ले और न ही अपनी जानकारी साझा करें। पुलिस प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए लोगों से गुहार लगाई कि सोशल मीडिया मंचों पर अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें और सोशल मीडिया खातों का इस्तेमाल करते समय सावधानियां बरतें।

लुधियाना की कपड़ा फैक्ट्री में आग, कोई हताहत नहीं

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (ब्यूरो)।

पंजाब के जिला लुधियाना में घनी आबादी वाले इलाके बाजवा नगर स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में गुरुवार को आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस आग पर काबू पाने में तीन घंटे से अधिक का समय लगा, जिसमें दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा था। फैक्ट्री में मौजूद तैयार कपड़े और वहां परिसर में रखा रखा माल आग में जलकर राख हो गया।

महिला सुरक्षा में हरियाणा सरकार विफल : सुधा

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (जनसत्ता)।

हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में बुरी तरह विफल है। नौ साल के कार्यकाल में महिला सुरक्षा सबसे निम्न रही। गुरुवार यहां एक बयान में कहा कि नौ साल में कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता जब महिला उत्पीड़न की वारदातों में वृद्धि न हुई हो।

नौ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के नौ जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों से वायरलेस से बातकर मामलों में जांच पड़ताल को लंबित रखने वाले जांच अधिकारियों को निलंबित कर तुरंत रपट भेजने के निर्देश दे दिए हैं।

विज ने कड़े लहजे में पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय की ओर से एक साल से अधिक समय से लंबित मामलों में जांच जांच अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक अविलंब तत्काल प्रभाव से इन जांच अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी करते हुए आदेश की प्रति गृह विभाग/कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विज डीजीपी, एडीजीपी कानून व्यवस्था, रेंज एडीजीपी, रेंज आईजी, डीआईजी और एसपी से बात कर रहे थे।

हर राजनीतिक दल को 30 मिनट का समय मिलेगा

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (ब्यूरो)।

पंजाब के मुद्दों पर विपक्षी दलों को बहस की चुनौती देने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि 'में पंजाब बोलदा हां' नाम की बहस एक नवंबर को दोपहर 12 बजे से लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के सभागार में होगी। इसमें राज्य के लोग पारंपरिक राजनीतिक दलों से जवाब मांगेंगे। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सत्ता में रहे सभी राजनीतिक दल बहस के दौरान

एक नवंबर को लुधियाना में होगी 'में पंजाब बोलदा हां' बहस।

अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस बहस के दौरान हर दल को बोलने के लिए 30-30 मिनट का समय मिलेगा, जो राज्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा। मान ने कहा कि 'में पंजाब बोलदा हां' बहस का मंच का संचालन प्रोफेसर निर्मल जौड़ा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहस पंजाब को अब तक किसने और कैसे लूटा है

और भाई-भतीजावाद, पक्षपात, टोल प्लाजा, युवा, कृषि, व्यापार-दुकानदार, बेअदबी, नदी जल आदि मुद्दों पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन सभी मुद्दों पर पंजाब को धोखा दिया है, जिसके लिए वह राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। भगवंत सिंह मान ने इन नेताओं को पंजाबियों और मीडिया के सामने इस खुली और स्वस्थ बहस में भाग लेने की चुनौती दी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन नेताओं के हाथ राज्य के खिलाफ

इस अपराध से रंगे हुए हैं और पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मान ने कहा कि इससे राज्य के निवासियों को स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि बलिदान देने के नाम पर उन्हें कैसे धोखा दिया गया जबकि राजनीतिक नेताओं ने अक्षय्य पाप कर अपने हित सुरक्षित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अपने निहित राजनीतिक हितों के लिए पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ उठाए गए भयावह कदमों के लिए इन नेताओं को कभी नहीं भूलेंगे और माफ नहीं करेंगे।

अंबाला सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी

अंबाला, 26 अक्टूबर (जनसत्ता)।

पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हरियाणा में अंबाला छावनी सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देने की धमकी दी है। यह धमकीभरा पत्र जगाधरी रेलवे पुलिस को मिला है। इससे पहले भी अंबाला सहित कई रेलवे स्टेशनों को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकियां दी जाती रही हैं लेकिन हर बार यह धमकी फर्जी साबित हुई। इस बार भेजे गए पत्र में जगाधरी, पानीपत, अंबाला सहित हरियाणा के कई स्टेशनों के नाम शामिल हैं।

लश्कर-ए-तैयबा की ओर से कहा गया है कि 13 नवंबर को वह इन सभी स्टेशनों पर बम धमाके करेंगे। इसके साथ ही 15 नवंबर को मंदिरों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी के बाद रेलवे व पुलिस के आलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया तंत्र अलर्ट मोड में आ गए हैं। हरियाणा और केंद्र का गृह विभाग भी हालात पर नजर बनाए हुए है। धमकी भरे पत्र के मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने अंबाला और अन्य रेलवे स्टेशनों पर अपनी गश्त

पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का धमकीभरा पत्र जगाधरी रेलवे पुलिस को मिला।

बढ़ा दी है जबकि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उच्चाधिकारियों ने एक बैठक भी की है। आमतौर पर नवंबर में त्योहारों का सीजन होता है। इन दिनों में पुलिस को वैसे भी अलर्ट मोड में रखा जाता है। आगामी 12 नवंबर को दिवाली है और उसके बाद 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा, जब रेलवे स्टेशनों और बाजारों आदि में बेहद भीड़भाड़ व चहल-पहल रहती है। धमकी पर सरकार का बयान नहीं आया है। मामला हरियाणा सरकार के संज्ञान में आ गया है। जीआरपी व आरपीएफ को सतर्कता बरतने को कहा गया है। करीब दो दशक पहले भी अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जेहलाम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में एक धमाका हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह कुछ साल पहले यहां रेलवे स्टेशन की पाकिंग में खड़ी कार में से बड़ी मात्र में 'आरडीएक्स' बरामद किया गया था।

पर्यावरण 'उल्लंघन' पर आप विधायक की कंपनी पर कार्रवाई करें : राज्यपाल

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (ब्यूरो)।

राजभवन और पंजाब सरकार के बीच जारी रस्साकशी के बीच राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक की उस रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' करने के लिए कहा जिसकी दो परियोजनाओं ने पर्यावरणीय मानकों का कथित उल्लंघन किया है। मोहाली में दो परियोजनाएं जनता लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड (जेएलपीएल) द्वारा विकसित की जा रही हैं, जिसका स्वामित्व मोहाली से सत्तारूढ़ आप

विधायक कुलवंत सिंह के पास है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री मान को लिखे पत्र में पुरोहित ने मामले में राज्य सरकार से रपट भी मांगी है।

राज्यपाल का पत्र दो परियोजनाओं -सुपर मेगा मिक्सड-यूज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, सेक्टर 82-83 और 66-ए एसएस नगर, मोहाली और जेएलपीएल द्वारा गैलेक्सी हाइट्स की वन्यजीव मंजूरी के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरण के बाद आया है। पुरोहित ने पत्र में कहा कि परियोजनाएं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

शिवर, प्लॉट नं. 1, सैक्टर-29, गुरुदास-122001
सीआईएन: L74899DL1974G01007227

निम्नलिखित पद(ों)/विभाग(ों) के लिए योग्य
व्यावसायिकों की आवश्यकता है

बीसी	पद	रिक्तियों की संख्या
367/23	प्रोजेक्ट एसोसिएट	31

पद, पारिश्रमिक, योग्यता, आयु, तिथि एवं स्थान, चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए उम्मीदवार राइट्स वेबसाइट www.rites.com पर करियर सेक्शन के अंतर्गत प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन को देख सकते हैं।
बॉक-इन-इंटव्यू पहले आओ पहले पाओ आधार पर 30.10.2023 एवं 31.10.2023 को शिखर, राइट्स लिमिटेड, सैक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा।

पंजाब केमिकल्स एण्ड क्राय प्रोटेक्शन लिमिटेड													
CIN : L24231PB1975PLC047063													
पंजी. कार्या: 18, अंबाला-कालका रोड, गांव व डाकखाना भंखारपुर, डेराबस्सी, जिला एसएस नगर, मोहाली (पंजाब)- 140201													
टेली: 01762-280086-280094, फैक्स: 01762-280070, ई-मेल info@punjabchemicals.com , वेबसाइट www.punjabchemicals.com													
30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैण्डर्ड एंजिन और कंसॉलिडेटेड अनेकक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश													
क्र. सं.	विवरण	स्टैण्डर्ड एंजिन (इंटीग्रेस डेटा को छोड़कर लाखों में)											
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने			समाप्त वर्ष					
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	31.03.2023		
1.	प्रचालन से कुल आय	24265	28059	27995	52324	55183	100770	24373	28162	28030	52535	55257	100956
2.	आय के लिए बुद्ध लाभ (हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण घाटे से पूर्व)	2437	2907	2519	5344	5351	8872	2485	2937	2412	5422	5169	8888
3.	कर से पूर्व आय के दौरान बुद्ध लाभ (विशेष तथा/या असाधारण घाटे के बाद)	2437	2907	2519	5344	5351	8872	2485	2937	2412	5422	5169	8888
4.	कर के बाद आय के दौरान बुद्ध लाभ (विशेष तथा/या असाधारण घाटे के बाद)	1788	2156	1865	3944	3966	6094	1812	2186	1758	3998	3784	6110
5.	आय के दौरान कुल व्यापक आय (आय के लिए (कर के बाद)) तथा/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हैं)	1763	2133	1852	3896	3940	6002	1825	2174	1806	3999	3867	5868
6.	इंफ्लैटरी सेजर मुंजी	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226
7.	आय (पूर्व वार के लेखापरीक्षण मुद्रण पर में दर्शाए अनुसार आंशिक पुनर्मुद्रण आय के अतिरिक्त)					28575						26836	
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी और चंद्र प्रचालन के लिए)	14.58	17.59	15.21	32.17	32.35	49.71	14.78	17.83	14.34	32.61	30.86	49.84
9.	मूल/समुद्रान:	14.58	17.59	15.21	32.17	32.35	49.71	14.78	17.83	14.34	32.61	30.86	49.84

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण वार्षिक प्रतिभूति विवरण बोर्ड (आय) के मुख्य कार्य एवं प्रकृतिकरण अनेकक्षित विवरणों के अनुसार 2015 के वित्तियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दायित्व को गई स्टैण्डर्ड एंजिन और कंसॉलिडेटेड अनेकक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण प्रकृत का कर है। स्टैण्डर्ड एंजिन और कंसॉलिडेटेड अनेकक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश वित्तियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दायित्व को गई स्टैण्डर्ड एंजिन और कंसॉलिडेटेड अनेकक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण प्रकृत का कर है।
www.punjabchemicals.com पर भी उपलब्ध है।

विवरण डी. सी. निदेशक

(DIN: 00075837)

दिल्ली नगर निगम

अधिसूचना अधिव्यंता (इंटरैक्ट) मुख्य-1 का कार्यालय
तकनीकी प्रयोगशाला परिसर, गाजीपुर, दिल्ली-110096

निविदा आमंत्रण हेतु प्रेस सूचना

एनआईओ नं. ईई. इंटरैक्ट/एससीडीई/2023-24/15 दिनांक: 26.10.2023
आयुक्त, दि.न.नि. की ओर से अधिसूचना अधिव्यंता (इंटरैक्ट) मुख्य-1 द्वारा कार्य का नाम: गाजीपुर बुद्धखाना में टन का आधार पर इंटरैक्ट/पॉच अपशिष्ट/गोबर ड्रॉप प्रसंस्करण प्लांट का स्थापना के लिए दो बोली प्रणाली अर्द्ध चरण 1: ब्रह्मा जानरेड से संबंधित दस्तावेज और चरण 2: विनिर्देश बोली में ई-टेंडरिंग में निविदाएं आमंत्रित किये जाते हैं।
लेखा शीर्षक: एच-124-1216, निविदा राशि: पर दर, बोहरर राशि: रु. 13,67,000/-, निविदा मूल्य: रु.1500/- + (270 जीएस्टी), समाप्त समय: 04 महीने, दर की क्यता: 180 दिन, निविदा आईडी 2023_एससीओ_172059, निविदापत्र दि.न.नि. की अधिसूचना केसमाट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।
आरआर नं. 53/डीपीआई, दि.न.नि./2023-24 अधिसूचना अधिव्यंता (इंटरैक्ट) मुख्य-1

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ (तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)

मामला सं.: ओए/468/2019
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन) इस्सएच नं. 19753 केनरा बैंक (पहले सिंडिकेट बैंक बनाम मैसर्स राज खाद भंडार

प्रति,
1) मैसर्स राज खाद भंडार डी/डब्ल्यू/एस/ओ श्री जसमेर सिंह, बस स्टैंड मडलीडा के पास, जिला पानीपत, हरियाणा।
2. श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री प्रथी सिंह मैसर्स राज खाद भंडार के मालिक निवासी बस स्टैंड के पास मडलीडा, जिला पानीपत, हरियाणा -132103

समन
चूंकि दिनांक 08.08.2023 को ओए/468/2019 मामानीय पीठासीन अधिकारी/जिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई किया था।
चूंकि, यह मामानीय न्यायाधीकरण राशि 39,01,865.58 रूपए के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दायित्व (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है।)
अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तदनुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिए जाते हैं:-
(i) समन की सेवा को 30 दिनों के अंदर यह कारण बताया होगा कि जिसके लिए राहत की प्रार्थना की गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
(ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संघियों तथा परिसंघियों के अलावा संघियों तथा परिसंघियों का विवरण प्रदर्शित करना।
(iii) आपको मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभूति परिसंघियों या ऐसी किसी अन्य परिसंघियों तथा संघियों के साथ लेन-देन और निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाते हैं, साथ जुड़ी हुई संघियों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लंबित है।
(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित किसी परिसंघि या किसी अन्य संघियों, जिस पर प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोर्स को छोड़कर किसी, लीज या अन्यथा तरीके द्वारा संघित का हस्तान्तरण नहीं कर सकते।
(v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभूति परिसंघियों या अन्य परिसंघियों तथा संघियों की विक्री द्वारा विक्री प्रक्रिया से वसूली और ऐसी परिसंघियों के ऊपर प्रतिभूति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रखे गए खाते में ऐसी विक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उतरदायी होंगे।
आपको आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दायित्व करने तथा दिनांक 15.11.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इस जिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। जिसमें असफल होने पर आवेदन की सुनवाई आपको अनुपस्थिति में कर दी जाएगी।
मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 16.08.2023 को जारी किया गया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ (तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)

मामला सं.: ओए/2910/2018
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन) इस्सएच नं. 20875 कांपोरेशन बैंक बनाम जगदीप सिंह

प्रति,
1) जगदीप सिंह डी/डब्ल्यू/एस/ओ श्री जागीर सिंह।
जगदीप सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह निवासी ग्राम खंडोली, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा

समन
चूंकि दिनांक 16.10.2023 को ओए/2910/2018 मामानीय पीठासीन अधिकारी/जिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई किया था।
चूंकि, यह मामानीय न्यायाधीकरण राशि 25,33,087/- रूपए के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दायित्व (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन/नोटिस जारी करता है। (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है।)
अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के तदनुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिए जाते हैं:-
(i) समन की सेवा को 30 दिनों के अंदर यह कारण बताया होगा कि जिसके लिए राहत की प्रार्थना की गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
(ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संघियों तथा परिसंघियों के अलावा संघियों तथा परिसंघियों का विवरण प्रदर्शित करना।
(iii) आपको मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभूति परिसंघियों या ऐसी किसी अन्य परिसंघियों तथा संघियों के साथ लेन-देन और निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाते हैं, साथ जुड़ी हुई संघियों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटान लंबित है।
(iv) आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित किसी परिसंघि या किसी अन्य संघियों, जिस पर प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोर्स को छोड़कर किसी, लीज या अन्यथा तरीके द्वारा संघित का हस्तान्तरण नहीं कर सकते।
(v) आप व्यापार के सामान्य कोर्स में प्रतिभूति परिसंघियों या अन्य परिसंघियों तथा संघियों की विक्री द्वारा विक्री प्रक्रिया से वसूली और ऐसी परिसंघियों के ऊपर प्रतिभूति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रखे गए खाते में ऐसी विक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उतरदायी होंगे।
आपको आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दायित्व करने तथा दिनांक 18.12.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इस जिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। जिसमें असफल होने पर आवेदन की सुनवाई आपको अनुपस्थिति में कर दी जाएगी।
मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 20.10.2023 को जारी किया गया।

